न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–43/2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मोनू पाण्डेय एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित

03/9/2019

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 95/मद्य नि0को0, दिनांक 30.01.19 से प्राप्त सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–171/18 दिनांक 23.08.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम यथा संशोधित–2016 के अन्तर्गत जब्त कुल चार वाहन (1) ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480, (2) पिकअप बोलेरो रजि0 नं0–BR07GA-7050 (3) मोटर साईकिल रजि0 नं0–BR07N-7719 एवं (4) काला–लाल रंग का बिना नम्बर का मोटर साईकिल जिसका वास्तविक चेसिस नं0–MBLJAS019H9F05695 तथा इंजन नं0–JA06EGH-9F05687 के राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में उक्त वाहन के मालिक का नाम/पता नहीं रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से वाहन के स्वामी का नाम/पता भेजने हेतु पत्र निर्गत किया गया।

इसी क्रम में जब्त वाहन बिना नम्बर का मोटरसाईकिल जिसका चेसिस नं0–MBLJAS019H9F05695 तथा इंजन नं0–JA06EGH-9F05687 एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त रजि0 नं0–BR06BK-2829 के वाहन स्वामी सुरेन्द्र कुमार साह, पिता–शिवशंकर साह, साकिन–ग्राम+पो0–भरवाड़ा, थाना–सिंहवाड़ा जिला–दरभंगा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 23093/18 में दिनांक 26.04.2019 एवं 05.08.2019 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त वाद में पारित आदेश का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाहन के स्वामित्व/पंजीकरण से संबंधित कागजात वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करने का आदेश पारित है। उक्त के आलोक में वाहन स्वामी द्वारा वाहन स्वामित्व/पंजीकरण से संबंधित कागजात दाखिल किया गया है जो विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है।

अतएव वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिंहवाड़ा थाना कांड सं0–171/18 में जब्त एक वाहन स्लेंडर मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR06BK-2829 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु थानाध्यक्ष, सिंहवाड़ा थाना को वाहन रजिस्ट्रेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ जब्त वाहन सं0– BR06BK-2829 की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त थाना कांड में जब्त शेष अन्य वाहन के वाहन की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख पुनः दिनांक 20/9/19 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।